सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 वैशाख, 1948 (श०)

संख्या - 172 राँची, मंगलवार, 21 अप्रैल, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

23 मार्च, 2026

संख्या-3/आरोप-11-01/2026 का.-35291 (HRMS)--श्रीमती आकांक्षा कुमारी, पति- श्री शैलेश कुमार, उप निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची के आवेदन एवं उसके साथ संलग्न गिरफ्तारी ज्ञापन के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हजारीबाग थाना कांड संख्या-11/25, दिनांक- 25.09.2025 के प्राथमिकी अभियुक्त, श्री शैलेश कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग, सम्प्रति- उप निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक-15.10.2025 को गिरफ्तार किया गया है तथा श्री कुमार वर्तमान में केन्द्रीय कारा, हजारीबाग में निरूद्ध हैं ।

2. अतः श्री शैलेश कुमार, झा०प्र०से०(को०क्र0-214/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग, सम्प्रति- उप निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत दिनांक-15.10.2025 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है ।

3. श्री शैलेश कुमार को निलंबन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान झारखण्ड सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 10 के अनुरूप उसी स्थापना द्वारा किया जाएगा, जहाँ श्री शैलेश कुमार कारावास में जाते समय पदस्थापित थे ।

4. हिरासत से मुक्त होने के बाद श्री शैलेश कुमार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान करेंगे ।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	SHAILESH KUMAR (110041165704)	श्री शैलेश कुमार, झा०प्र०से०(को0क्र0-214/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग, सम्प्रति-उप निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत दिनांक-15.10.2025 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है ।	15/10/2025

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:20060400057

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 172 - 50